धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने **धार्मिक स्थलों** पर लाउडस्पीकर के लिये स्थायी **ध्वनि प्रदूषण** नियंत्रण उपायों की जरूरत पर ज़ोर दिया।

मुख्य बिंदु

- **महत्त्वपूर्ण निर्देश**
  - मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनि स्तर को तय मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिये।
  - साथ ही उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।
- **हाईकोर्ट का निर्णय**
  - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि **प्रार्थना के लिये लाउडस्पीकर का उपयोग कोई कानूनी अधिकार नहीं** है, क्योंकि इससे अन्य लोगों को असुविधा हो सकती है। अतः **लाउडस्पीकर का प्रयोग अधिकार की श्रेणी में नहीं आता**।
    - पूर्व में इलाहाबाद **उच्च न्यायालय** ने भी **धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग** को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
- **ध्वनि प्रदूषण**
  - किसी भी प्रकार की **असहज या अत्यधिक तेज़ आवाज़** को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है।
  - यह अनियमित कंपन वाला शोर होता है, जो **सुनने में अप्रिय** लगता है।
  - ध्वनि की तीव्रता को **डेसिबिल (dB)** में मापा जाता है और इसके स्तरों को निर्धारित करने के लिये एक **डेसिबिल पैमाना** प्रयोग किया जाता है।
  - **20 dB** तक की ध्वनि तीव्रता को **फुसफुसाहट** के समान माना जाता है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, **70 dB से कम की ध्वनि** तीव्रता जीवित प्राणियों के लिये हानिकारक नहीं होती, भले ही वह कितनी भी लंबी अवधि तक बनी रहे।
    - हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति **85 dB से अधिक के शोर के संपर्क में** लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक रहता है, तो यह स्वास्थ्य के लिये जोखिमपूर्ण हो सकता है।
  - ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में **तेज़ संगीत, परिवहन, निर्माण कार्य** आदि शामिल हैं, जो मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
    - इसके दुष्प्रभावों में **उच्च रक्तचाप, श्रवण विकलांगता, नींद संबंधी विकार** और **हृदय रोग** शामिल हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/loudspeakers-at-religious-places